<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना-नवाबाद, जनपद-झाँसी</u>

<u>दिनाँक 04.06.2026</u>

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही।**
- **थाना नवाबाद पुलिस द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार का पुतला दहन करने वाला 01 अपराधी गिरफ्तार,**
- **गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जिला कारागार में निरुद्ध किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर आलोक सिंह एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 04.06.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार एवं ग्रहमंत्री श्री अमितशाह व रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का पुतला फूंककर केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाने वाले एवं आम जन में सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त करने का प्रयास करने वाले अपराधी भानू सहाय पुत्र वीरेन्द्र सहाय निवासी 32 लक्ष्मणगंज, थाना-कोतवाली, जिला-झाँसी को शांति व्यवस्था को भंग करने पर अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट, झांसी के समक्ष पेश कर जिला कारागार झांसी निरुद्ध किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरणः</u>-

दिनांक 04.06.2026 को अभियुक्त द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार एवं ग्रहमंत्री श्री अमितशाह व रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का पुतला फूंककर केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने जिसमें आसपास कार्य कर रहे व आने जाने लोगों का जीवन संकट में होने के कारण अत्यधिक आक्रोश व्याप्त हो जाने के संबंध मे आज दिनांक 04.06.2026 को उ0नि0 मोहित कुमार चौकी प्रभारी जेल थाना नवाबाद झांसी की दाखिला तहरीर के आधार पर थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0 288/26 धारा 287/191(2) BNS बनाम 1.भानू सहाय (वकील) पुत्र स्व वीरेन्द्र सहाय नि0 32 लक्ष्मीगंज थाना कोतवाली जिला झांसी 2.4-5 अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध थाना पंजीकृत किया गया। जिसके पश्चात आरोपी भानू सहाय के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद होने की जानकारी मिलने पर थाना नवाबाद पुलिस

द्वारा मय हमराह के कलेक्ट्रेट परिसर पर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर मौजूद आरोपी भानू सहाय को मौके पर ही समझाने का प्रयास किया गया किन्तु आरोपी द्वारा पुलिस की बातों को सुनने को तैयार न होने की दशा में भविष्य में कोई बड़ी लॉ एण्ड आर्डर को प्रभावित करने सम्बन्धी स्थिति उत्पन्न करने संबंधी संगीन अपराध होने की प्रबल संभावना होने के कारण संज्ञेय अपराध को रोकने हेतु आरोपी भानू सहाय उपरोक्त को समय 15:10 बजे अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS में हिरासत पुलिस लिया गया। जिसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट, झांसी के समक्ष पेश कर जिला कारागार झांसी निरुद्ध किया गया।

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-</u>

भानू सहाय पुत्र वीरेन्द्र सहाय निवासी 32 लक्ष्मणगंज थाना कोतवाली जिला झाँसी-

1. मु0अ0सं0 288/26 धारा 287/191(2) BNS थाना नवाबाद जिला झांसी
2. मु0अ0सं0 209/23 धारा 341/500 BNS थाना नवाबाद जिला झांसी
3. मु0अ0सं0 52/24 धारा 147/188/332/341/353/504/506 भादवि थाना नवाबाद जिला झांसी
4. मु0अ0सं0 119/25 धारा 287 BNS थाना नवाबाद जिला झांसी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक नवाबाद श्री रवि श्रीवास्तव,
2. उ0नि0 श्री मोहित कुमार,
3. का0 354 पुष्पेन्द्र सिंह,
4. रि0का0 मृत्युंजय कुमार ।